


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत      उपखण्ड अधिकारी      मुकाम      चित्तौड़गढ़ ( राज.)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर कमलेश कुमार बनाम जेधलाल 66/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>27.2.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कमलेश कुमार</u></p> <p>पिता श्री <u>पीरुलाल</u></p> <p>निवासी- <u>जमखिंदपुरा</u> तहसील व जिला <u>चित्तौड़गढ़</u> ने ग्राम <u>पालडा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>819, 820, 821, 822, 823, 826, 850, 851, 852, 854</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> कुल रकबा <u>3.39</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पालडा (बन्सी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>819, 820, 821, 822, 823, 826, 850, 851, 852, 854</u></p> <p>कुल कीता <u>10</u> रकबा <u>3.39</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रुपये अक्षरे <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्मित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">         महकमा उपखण्ड अधिकारी        चित्तौड़गढ़ (राज.)     </div>